



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
HSVP

Tel: 0172-2564048
Website: www.HSVP.gov.in
Toll Free No. 1800-180-3030
E-mail id: adohsvp03@gmail.com
Address: C-3 HSVP HQ Sector-6.
Panchkula

To

The Director General,
Information, Public Relations and Languages Deptt,
Haryana, Chandigarh.

Memo No. A-3-UB-2024/ 223207

Dated: 13/8/24

Subject: Advertisement/Public Notice for allotment of Social/Charitable/Religious/Dharamshala site in Sector-21-A, Rohtak.

Reference on the subject cited above.

Please find enclosed herewith a copy of Public Notice/Advertisement for allotment of Social/Charitable/Religious/Dharmshala building site in Sector-21-A, Rohtak.

It is requested to publish the public notice in the following newspaper on the date mentioned below:-

Sr. No.	Name of Newspapers	Date of Publishing
1	Dainik Jagran (Hindi)	15.08.2024
2	Amar Ujala (Hindi)	15.08.2024
3	The Tribune (English)	15.08.2024

DA/as above.

Superintendent, U.B.,
for Chief Administrator,
HSVP, Panchkula.

Endst. No. A-3-UB-2024/ 223214

Dated: 13/8/24

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please:-

1. The Administrator, HSVP, Rohtak.
2. The Chief Town Planner, HSVP, Panchkula.
3. The Estate Officer, HSVP, Rohtak.

Superintendent, U.B.,
for Chief Administrator,
HSVP, Panchkula.



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)

सी-3, सैक्टर-6, पंचकूला।

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखंड का आबंटन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), के सैक्टर-21-A, रोहतक में शहरी सम्पदा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित धर्मार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार भूखंड के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इस आबंटन से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप ह.श.वि.प्रा. की वेबसाइट <https://hsvphry.org.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपदा अधिकारी, ह.श.वि.प्रा. रोहतक से संपर्क करें। आवेदन पत्र जमा करने की प्रथम तिथि 15.08.2024 और अंतिम तिथि 14.09.2024 सांय 05:00 बजे तक होगी।

मुख्य प्रशासक,
ह.श.वि.प्रा., पंचकूला।



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(ह.श.वि.प्रा.)
सी-3, सैक्टर-6, पंचकूला ।

PHOTO

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखण्डों के
आबंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. संगठन का नाम व पंजीकरण संख्या.....
2. पता.....
3. शहरी संपदा का नाम जिसमें भूखण्ड. चाहिये:.....
4. संस्था वर्तमान में है अथवा प्रस्तावित है:.....
5. संगठन का प्रत्यय पत्र
 - क) संगठन का नाम: सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी
 - ख) अगर निजी है, एक पंजीकृत समिति/समिति जो धर्मार्थ समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत है।
6. क) परियोजना हेतु उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण:.....
 - ख) उद्देश्य जिसके लिए भूखण्ड. चाहिए:.....
7. किये गए पूर्व कार्यों का विवरण:.....
8. परियोजना की कुल लागत:.....
9. क्या संगठन के पास परियोजना संभालने की प्रबंधकीय क्षमता है.....
10. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे:.....
11. क) मांगे गये भूखण्ड का आकार (आवश्यक कारपेट एरिया के विवरण के साथ)
 - ख) भूखण्ड की आवश्यकता के संबंध में औचित्य एवं निर्मित क्षेत्र को दर्शाता भूखण्ड. का प्रयोज्य प्लान
12. संस्था की वित्तीय स्थिति
 - क) वर्तमान सभी बैंकों का बैलेंस:.....
 - ख) वार्षिक प्राप्तियां (पिछले 3 वित्तीय वर्षों की):.....
 - ग) भूखण्ड एवं भवन हेतु चिन्हित निधि:.....
13. जिला उपायुक्त की अनुशंसा:.....
14. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:
 - क) परियोजना रिपोर्ट
 - ख) भूखण्ड प्रयोज्य नक्शा
 - ग) न्यास/संस्था/संस्थान के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - घ) बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित वर्तमान बैंक बैलेंस का प्रमाण पत्र।

दिनांक:

स्थान:

प्रार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

नाम:.....

मो० न०.....

ई-मेल:.....



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(ह.श.वि.प्रा.)
सी-3, सैक्टर-6, पंचकूला।

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखण्डों के
आबंटन हेतु नियम एवं शर्तें

1. आबंटन 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर किया जाएगा।
2. इच्छुक और पात्र समाज/न्यास/संस्थाएँ इसके आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. भूखण्ड की कुल अस्थाई लागत का 10 प्रतिशत एक निर्धारित अग्रिम धनराशि के रूप में वेबसाइट <https://hsvphry.org.in> पर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
4. आबंटन ह.श.वि.प्रा. की नवीनतम नीतियों के अनुसार किया जाएगा।
5. प्राप्त आवेदनों की मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच कर गुणावगुण के आधार पर संस्तुति की जाएगी। तदानुसार आबंटन प्राधिकरण के यादि कमांक-09/547-622 दिनांक 04.01.2020 द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
6. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों व चालान की एक प्रति केवल ह.श.वि.प्रा. रोहतक में दिनांक 14.09.2024 सांय 5.00 बजे से पूर्व जमा करवाना होगा।
7. आवंटित भूखण्ड के संबंध में भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित बढे हुए मुआवजे, यदि कोई है, की समानुपातिक देयता आबंटि के द्वारा देय होगी।
8. इन भूखण्डों के आबंटन के समय ह.श.वि.प्रा. की संस्थागत भूखण्डों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/परोपकारी संस्थान/न्यास हेतु) जो दरें लागू होंगी, वह दरें आबंटि से वसूल की जाएंगी।
9. ऐसे आबंटन हेतु निम्नानुसार दरें वसूल की जाएंगी:-

अनुसूचित जाति के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 20 प्रतिशत
पिछडा वर्ग (ए) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 30 प्रतिशत
पिछडा वर्ग (बी) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 40 प्रतिशत
साधारण श्रेणी के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 50 प्रतिशत

नोट: आवेदन पत्र के साथ आवेदक संस्था द्वारा जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सभी जातियों के मिश्रित समूह द्वारा भूखण्ड हेतु आवेदन किया जाएगा तो ऐसा आवेदन साधारण श्रेणी के लिए माना जाएगा।



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(ह.श.वि.प्रा.)
सी-3, सैक्टर-6, पंचकूला।

संस्थागत भूखण्डों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/
परोपकारी संस्थान/न्यास) के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

क्रमांक	शहरी संपदा का नाम	सैक्टर/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूखण्ड की दर (वर्ग मी. में)
1.	रोहतक	21-A	1052.18 (वर्ग मी.) (0.26 एकड़)	रु. 17,000/-

Rates for the above sites will be applicable as under:-

For SC Category	20% of the above sites
For BC (A) Category	30% of the above rates
For BC (B) Category	40% of the above rates
For General Category	50% of the above rates

NOTE:

- (i) 10% of the total cost of the land shall be deposited along with application form as an earnest money.
- (ii) If applicants falls under SC, BC(A) & BC(B) Category of Haryana than applicants have to provide caste certificate issued by the competent authority along with application to obtain above benefit in land cost.
- (iii) In case of the mixed group for all caste, it shall be treated as General Category.